कार्यालय कलेक्टर,जिला झाबुआ (म.प्र.)

कमांक / 7319 / नज़ारत / 2020 झाबुआ,दिनांक 29 / 08 / 2020

वाहन किराये पर लिये जाने हेतु प्रेस–विज्ञप्ति

झाबुआ जिलें मे पदस्थ डिप्टी कलेक्टर के लिये 01 महेन्द्रा बोलेरों वाहन के समकक्ष अधिकतम कीमत 7.50 लाख तक (Ex show room price) तथा 03 तहसील कार्यालयों (झाबुआ / रामा / थान्दला) में कार्यरत तहसीलदारों / अतिरिक्त तहसीलदारों के लिये महेन्द्रा बोलेरों वाहन के समकक्ष अधिकतम कीमत 6.50 लाख तक (Ex show room price) के वाहन मासिक किराये पर लगाने हेतु संक्षिप्त दरें दिनांक **10 सितम्बर, 2020** को सांय 4.00 बजें तक आहुत की जाती हैं।

वाहन किरायें पर लिये जाने की शर्ते कलेक्टर कार्यालय झाबुआ की नजारत शाखा में कार्यालयीन समय में कभी भी प्राप्त की जा सकती हैं / देखी जा सकती हैं।

(कलेक्टर महोदय, द्वारा आदेशित)

अपर कलेक्टर
जिला झाबुआ म.प्र.

पृ. कमांक / 7320 / नज़ारत / 2020 झाबुआ, दिनांक 29 / 08 / 2020

1. आयुक्त, जनसम्पर्क, जनसम्पर्क भवन, बाणगंगा भोपाल की और भेजकर निवेदन हैं कि कृपया उक्तानुसार निविदा सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में करवाने का कष्ट करें।
2. सहायक संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग झाबुआ की और आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अपर कलेक्टर
जिला झाबुआ म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर,जिला झाबुआ (म.प्र.)

कमांक/ 7321 /नज़ारत/2020 झाबुआ,दिनांक 29/08/2020

वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा सूचना

झाबुआ जिले मे पदस्थ डिप्टी कलेक्टर के लिये 01 अधिकतम कीमत रूपये 7.50 लाख (Ex show room price) के अन्तर्गत महेन्द्रा बोलेरो वाहन के समकक्ष तथा 03 तहसील कार्यालयों (झाबुआ/रामा/ थान्दला) में कार्यरत तहसीलदारों के लिये वाहन की अधिकतम कीमत रूपये 6.50 लाख (Ex show room price) के अन्तर्गत महेन्द्रा बोलेरो वाहन के समकक्ष वाहन मासिक किराये पर लगाने हेतु एक वर्ष तक की अवधि के लिए इच्छुक निविदाकारों से खुली निविदाऐं दिनांक **10 सितम्बर, 2020** को सांय 4.00 बजें तक निम्नलिखित शर्तो के अन्तर्गत आमंत्रित की जाती हैं :–

1– वाहन परिवहन कार्यालय में टेक्सी कोटे में पंजीकृत होना अनिवार्य हैं ।

2– वाहन जिला मुख्यालय/तहसील मुख्यायल पर लिये जाऐंगें तथा वाहनों का उपयोग जिले में शासकीय कार्य से भ्रमण के लिए किया जाऐगा। वाहन 24 घन्टे उपयोगकर्ता अधिकारी के नियंत्रण में रहेगा।

3– मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिया जाऐंगा ।

4– तहसील मुख्यालय के लिए तथा मुख्यालय से बाहर भ्रमण हेतु पृथक–पृथक दरें प्रस्तुत करें।

5– दरें वाहन चालक तथा बिना वाहन चालक की पृथक–पृथक प्रस्तुत की जावें ।

6– यात्रा के दोरान दुर्गम स्थानों पर भी वाहन ले जाया जा सकेगा।वाहन के ड्रायवर का यह कर्तव्य होगा कि वह उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेश का पालन करें।

7– किराये पर दिये जाने वाले वाहन का मॉडल 8/2017 से अधिक का पुराना नहीं होना चाहिए।

8– किराये की अवधि में वाहन में डीजल प्रदाय की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय की होगी।

9– वाहन के संधारण पर होने वाली टूट–फुट,बैटरी,टायर–टयूब आदि के व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी।

10– वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक हैं। वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों पहियें के टायर–ट्यूब अच्छे होना चाहिए व माईलोमीटर हमेशा चालू हालत में होना अनिवार्य हैं। इसकी जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।

11– वाहन प्रदाता यदि ड्रायवर उपलब्ध कराता हें तो उसे हर समय कार्य करने के लिए तैयार रहनें का आदेश आवश्यक हैं। अत्यावश्यक होने पर दूरभाश/मोबाईल पर सूचना प्राप्त होते ही तत्काल वाहन संबंधित स्थान पर भिजवाना होगा ।

12– वाहन ड्रायवर के पास नियमानुसार वाहन चालन का वैध ड्रायविंग लायसेन्स होना आवश्यक हैं ।

13– वाहन प्रदाता के ड्रायवर को वाहन का बीमा रजिस्ट्रेशन एवं ड्रायविंग लायसेन्स इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने आवश्यक होगें । वाहन टेक्स पेड एवं वाहन प्रदाता के स्वामित्व में रहना चाहिए। किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन का स्वामी इसके लिए पूर्ण उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्च वहन करेगा ।

14– वाहन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती हें तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी

15– रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को सामान्यतः दो घंटे में सुधार कराकर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा । दो घंटे से अधिक वाहन खराब रहने पर उस दिन का किराया नहीं दिया जावेगा । वाहन के खराब होने के स्थान से गैराज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा ।

16– वाहन प्रदाता को मांग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा । मांग अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि कार्यालय द्वारा जप्त की जा सकेगी ।

17– वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी व वाहन प्रभारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लागबुक में कराना होगा। प्रमाणित लागबुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

18– माईलो मीटर की गडबडी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दशार्य जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सडक मार्ग को निर्धारित दूरी अनुसार मान्य किया जावेगा ।

19– वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर उपयोग में न्युनतम दूरी का कोई भी बंधन नहीं रहेगा।

20– निविदा जमा करते समय धरोहर राशि 5000/–(रूपये पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कलेक्टर जिला झाबुआ के नाम से कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी ।

21– आवेदन में नाम एवं पता स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए ।

22– वाहन प्रदायकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्ति के उपरान्त मांग एवं आवश्यक्तानुसार आदेशदाता अधिकारी के पास मय ड्रायवर के वाहन निर्धारित स्थान (कार्यालय) में भेजना होगा अन्यथा स्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी।

23– निविदा स्वीकार करने व अस्वीकार करनें का अंतिम निर्णय कलेक्टर जिला झाबुआ का होगा। यह निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा ।

24– वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य खर्च जिसमें वाहन चालक का दैनिक एवं अन्य यात्रा भत्ता भी शामिल हें वाहन प्रदायकर्ता स्वयं व्यय करेंगा ।

25– वाहन को किसी भी समय हटाने का पूर्ण अधिकार आदेशकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगा।

26– वाहन आवश्यक्ता/मांग के अनुसार भ्रमण हेतु समय–समय पर किराये पर लिये जाऐंगें तथा वाहनों को आवश्यक्ता/वार्शिक/मासिक किराये/माह में न्युनतम 20 अथवा 10 दिवस/दैनिक दर पर लिये जा सकते हैं ।

27– फर्म/मालिक के नाम से पंजीकृत वाहन की छायाप्रति निविदा के साथ लगाया जाना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार के वाहन अल्प समय की सूचना पर उपलब्ध कराने में सक्षम हो।

28– फर्म/मालिक के नाम से वाहन पंजीकृत होना अनिवार्य हैं।फर्म द्वारा किसी अन्य से अनुबंधित वाहन मान्य नहीं किया जाऐगा।

29– वाहन किराये पर लेने की दर संलग्न प्रपत्र अनुसार अंकित करना होगा।

30– मान्य दरें आगामी एक वर्श के लिये लागू होंगी।

31– शासकीय कार्य से वाहन बाहर ले जाते समय यदि कोई टोल–टेक्स पार्किंग का भूगतान किया जाता हें तो भूगतान की रसीद मूलतः देयक के साथ प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाऐगी।

32– नियमों के अनुसार टी.डी.एस. की कटौत्री भूगतान के समय की जाऐगीं।

33– निविदाकर्ता फर्म का सर्विस टेक्स नंबर होना अनिवार्य हैं।

34– वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी के कार्यालय/निवास स्थान पर रहेंगा।

अपर कलेक्टर,
जिला झाबुआ (म.प्र.)

पृ.कमांक/7322/नज़ारत/2020 झाबुआ,दिनांक 29/08/2020

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.शासन,प्रथम तल सी सी बिल्डिंग,माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर भोपाल की और सूचनार्थ।

2– सचिव, म.प्र.शासन,राजस्व विभाग,मंत्रालय भोपाल की और सूचनार्थ ।

3– आयुक्त,इन्दौर संभाग,इन्दौर की और सूचनार्थ ।

4– कलेक्टर,जिला.................................. की और सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु ।

5– सहायक संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग झाबुआ की और भेजकर लेख हें कि दैनिक समाचार पत्रों में प्रसारित करने की आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

6– तहसीलदार, तहसील रानापुर/झाबुआ/रामा/मेघनगर/थान्दला/पेटलावद की और प्रचार–प्रसार हेतु ।

7– जिला कार्यालय के नोटीस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

अपर कलेक्टर,
जिला झाबुआ (म.प्र.)

Vicle Rent